

# न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :- 153/2017

अनुवान मुकदमा –

1. आर्यमन उम्र 15 साल वर्ष पुत्र श्री अभिशोक नाबालिगान जरिये कुदरति वली माता भीला देवी पत्नि श्री अभिशोक जाति बि नोई साकिन वार्ड नं. 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. भीला देवी पत्नि श्री अभिशोक जाति बि नोई साकिन वार्ड नं 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण-

## बनाम

1. विजयलक्ष्मी पत्नि श्री रामगोपाल जाति बि नोई साकिन वार्ड नं 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अभिशोक पुत्र रामगोपाल जाति बि नोई साकिन वार्ड नं 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. भवेता पुत्री श्री रामगोपाल जाति बि नोई साकिन वार्ड नं 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. इनायत पुत्री श्री अभिशोक जाति बि नोई साकिन वार्ड नं 19 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. भाखा प्रबन्धक एसबीबीजे (एसबीआई) भाखा पीलीबंगा जरिये भाखा प्रबन्धक ।

प्रतिवादीगण-

उपस्थित :-

1. अजय सिंह चौहान अधिवक्ता वादीगण
2. ठाकरराम प्रतिवादीगण 1 ता 4

निर्णय दिनांक 09.11.2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

वाद पत्र वादीगण सक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण के दादा/ससुर स्व. श्री रामगोपाल पुत्र श्रीराम के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 10 पीबीएन के पं. नं. 3/298(23) किं. नं. 11,20 ता 25 की 1.771 हैक्. पं. नं. 37/299(32) किं. नं. 21,22 की 0.506 हैक्. पं. नं. 37/300(41) किं. नं. 1,2,9 ता 12, 18/088, 19/202, 20/0.228 की 2.036 हैक्. कुल 4.313 हैक्. मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी कृशी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कुल 4.313 हैक्. भूमि वादीगण के दादा, ससुर श्री रामगोपाल नें जरिये बैयनामा दिनांक 14.05.1981 द्वारा 0.506 हैक्. विक्रेता प्रेमराम से, जरिये बैयनामा दिनांक 02.11.

1998 द्वारा 0.253 हैक. विक्रेता गमदूर सिंह से, जरिये बैयनामा दिनांक 11.05.1997 को कुल 2.036 हैक. विक्रेता प्रेमराम से तथा जरिये बैयनामा दिनांक 28.11.1997 को 1.518 हैक. भूमि विक्रेता केवल सिंह से खरीद की थी प्रमाणित प्रतिलिपि नकल बैयनामा दिनांक 14.05.1981, 02.11.1998, 14.05.1997, 28.11.1997 अवलोकनार्थ सलग्न वाद पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत है। तथा वादीगण के दादा/ससूर श्री रामगोपाल के स्वर्ग के बाद उनके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड कृशी भूमि में पति/पिता प्रतिवादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 1,3 का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है तथा पति वादी सं. 1 का प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा कास हक व हिस्सा है। लेकिन प्रतिवादी सं. 01 ने वादीगण व अन्यो का हक हिस्सो मारते हुए राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर समस्त 4.313 हैक. भूमि अकेले अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा ली ।



सत्यमेव जयते

नकल जमाबन्दी चालू चक 10 पीबीएन खाता सं. 80/32, 81/60 सलग्न वाद पत्र है। तथा प्रतिवादी सं. 02 ता 4 ने वादीगण के दादा/ससूर की उक्त समस्त 4.313 हैक. मय गैर मुमकिन भूमि का हक त्याग वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तीनों के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। इस प्रकार से हम वादीगण के पास 4.313 हैक. में से 2/3 हिस्सा का कब्जा का त है तथा वादीगण कुल 4.313 हैक. में से 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार का तकार है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में समस्त 4.313 हैक. अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण अपने 2/3 हिस्सा की खातेदारी घोशण करवाने के मु तहक है। तथा वादीगण के 2/3 हिस्सा की घोशणा करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पुर्व वे ऐसा करने से बिलकुल मना हो गये बस यही वाद हेतुक है। तथा तहसील पीलीबंगा के चक 10 पीबीएन के पं. नं. 37/298(23) किं. नं. 11,20 ता 25 की 1.771 हैक. पं. नं. 37/299(32) किं. नं. 21, 22 की 0.506 हैक. पं. नं. 37/300(41) किं. नं. 1,2,9 ता 12, 18/0.088, 19/0.202, 20/0.228 की 2.036 हैक. मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी कृशी भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तीनों का ब.हि.ब. के खातेदार का तकार है। साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी की चक 10 पीबीएन(बी) खाता सं.

80/32, जमाबन्दी चक 10 पीबीएन (बी) खाता सं. 81/60, फोटोप्रति रजिस्ट्रीया 10 पीबीएन(बी) प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ठाकरराम अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 की ओर से राजीनामा पें 1 किया गया व प्रतिवादीया सं. 3 की ओर से इकबाल दावा पे 1 कर निवेदन किया कि प्रकरण में हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है। हम मिकराम प्रति सख्या 2 तथा 4 हमारी इस दावा वर्णित 4.313 हैक्. में किसी प्रकार का कोई हिस्सा आदि नहीं लेना चाहते है। वाके चक 10 पीबीएन के पं. नं. 37/298 किं. नं. 11,20 ता 25 की 1.771 हैक्. पं. नं. 37/299 किं. नं. 21,22 की 0.506 हैक्. पं.नं. 37/300 किं. नं. 1,2, 9 ता 12, 18/0.088, 19/0.202, 20/0.228 की 2.036 कुल 4.313 हैक्. कृशी भूमि वादीगण 1 व2 तथा प्रतिवादी सं. 01 तीनों को ब.हि.ब दे दी जाएं तथा उक्त अनवानी दावा इसी प्रकार निर्णय व डिक्री फरमाया जावें तो हम मिकरान को कोई उज्र एतराज नहीं है। इस राजीनाम बाबत मिकरान या अन्य कोई उज्र दावा आदि करें तो झुठा जाना जावें।

बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान ने अनवान प्रकरण में पक्षकारो का राजीनामा हो चुका है राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाना हेतु निवेदन किया। तथा अपने पक्ष में आरआरटी 2008(2) की नजीर पे 1 की गई। बहस पर मनन किया गया। व वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर का ससम्मान अधयन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर पुर्णत चस्प्या होती है। वाद वादीगण साबित होने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि चक 10 पीबीएन के पं. नं. 37/298 किं. नं. 11,20 ता 25 की 1.771 हैक्. पं. नं. 37/299 किं. नं. 21,22 की 0.506 हैक्. पं.नं. 37/300 किं. नं. 1,2, 9 ता 12, 18/0.088, 19/0.202, 20/0.228 की 2.036 कुल 4.313 हैक्. गै.मुमकिन भूमि रास्ता खाला कृशी भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीसं. 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार का तकार घोशित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय सूनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा